



प्रेस नोट थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर



दिनांक- 14.04.26

जनपद शाहजहाँपुर एवं कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र केदार राम निवासी ग्राम तुलसीपुर कुडवा, थाना मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में धोखाधड़ी कर अवैध रूप से अर्जित धनराशि से खरीदे गये लगभग 15,50,000 रुपये मूल्य के वाहन को चिन्हित कर विधिक कार्यवाही के तहत सीज/फ्रीज किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेन्स की मंशा एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों/वांछित/वारण्टी, अवैध मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री- निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक रामचन्द्र मिशन के नेतृत्व में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 14.04.2026 को कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस एवं जनपद शाहजहाँपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र केदारराम निवासी ग्राम तुलसीपुर कुडवा, थाना मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ, जिसके विरुद्ध धोखाधड़ी व गैंगस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत हैं, द्वारा संगठित गिरोह बनाकर वृद्धावस्था पेंशन के लगभग 02 करोड़ 52 लाख 39 हजार रुपये की कूटरचना व धोखाधड़ी कर सरकारी धन का गबन करते हुए अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी थी। उक्त प्रकरण में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 04.02.2026 के अनुपालन में अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए शाहजहाँपुर पुलिस एवं कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा धोखाधड़ी से अर्जित वाहनों को कुर्क किया गया है। कुर्क किये गये वाहनों को थाना हाजा लाकर दाखिल किया जा रहा है तथा प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्त-

राजेश कुमार पुत्र केदारराम निवासी ग्राम तुलसीपुर कुडवा थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 373/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 646/23 धारा 420,409,467,468,471,472,120बी भादवि थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर

सीज/फ्रीज की गयी सम्पत्ति का विवरण:

वाहन संख्या UP-32JK-1029, महिन्द्रा XUV 500, अनुमानित कीमत ₹9,20,000/ रुपये

वाहन संख्या UP-32LP-0798, महिन्द्रा बोलेरो, अनुमानित कीमत ₹6,30,000/ रुपये

सीज/फ्रीज की कार्यवाही के दौरान मौजूद पुलिस बल का विवरण-

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार मौर्य थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री सचिन भारती थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना गोमतीनगर विस्तार कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 श्री कुलदीप भाटी थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
5. उ0नि0 श्री कुलदीप भाटी थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
6. उ0नि0 श्री हर्ष यादव थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ
7. हे0का0 नागेन्द्र प्रताप सिंह थाना गोमतीनगर विस्तार कमिश्नरेट लखनऊ
8. का0 1808 यतेन्द्र कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
9. का0 2149 मनजीत कुमार थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर
10. का0 संदीप यादव थाना गोमतीनगर विस्तार कमिश्नरेट लखनऊ
11. म0का0 ममता यादव थाना गोमतीनगर विस्तार कमिश्नरेट लखनऊ
12. का0 1618 राजकुमार थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ